Dr. Gautam Kumar
BA(H) part-II
PAPER-III

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान (Provisions Related to Independence of Supreme court)

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है:—

(i) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राजनीतिक आधार पर न करके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से ही करता है परन्तु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को व्यापक आधार प्रदान करता है।

(ii) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भयमुक्त होकर अपने कर्तव्य पालन की स्वतंत्रता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में गलती होने पर भी उसे कदाचार नहीं माना जाएगा। सदन में प्रस्ताव पारित होने पर ही उसे राष्ट्रपति हटा सकता है।

(iii) उच्चतम न्यायालयों को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार होता है।

(iv) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आरित होते हैं।

Scanned with CamScanner

(v) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होने पर भी कार्यपालिका की तरह प्रसादपर्यन्त पद धारण नहीं करते अर्थात एक बार नियुक्त हो जाने पर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं।

(vi) इसके वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी आदि संसद द्वारा बनाई विधि पर आधारित होते हैं।

(vii) न्यायाधीशों के कर्तव्य पालन में संसद या राज्य विधानमण्डल में चर्चा नहीं की जा सकती है।

(viii) न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है।

(ix) न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद, उसके विशेषाधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(x) न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है।

(xi) सेवानिवृत्ति के बाद कोई न्यायाधीश भारत के किसी राज्यक्षेत्र में कहीं भी अभिवाचन का कार्य नहीं करेगा।

(xii) न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकेगी बल्कि संसद विधि बनाकर इसमें वृद्धि कर सकती है।

(xiii) राज्य के कार्यकारिणी कार्य न्यायपालिका से पृथक होंगे।

(xiv) न्यायाधीशों को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं।

Scanned with CamScanner